


27⁰⁸/₁₈

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। जिल्द
पीठाधीन अधिकारी के विरुद्ध आपक्ष लगाकर यह
मुंतकिली गार्शन पत्र पेश किया है उस पीठाधीन अधिकारी
का स्थानांतरण हो चुका है एवं दूसरे अधिकारी द्वारा
कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है। अतः यह मुंतकिली
गार्शन पत्र प्रभावहीन हो गया है। अतः यह गार्शन
पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय
की पत्रावली निर्णय की प्राप्ति के साथ भिजवाई जावे।
पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।


जिला कलक्टर
करोली